



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 344]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 8, 2017/भाद्र 17, 1939

No. 344]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 8, 2017/ BHADRA 17, 1939

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

अधिसूचना

मुम्बई, 30 जून, 2017

सं यूटी/एचडी/डीओएफए/एसयूयूटीआई-गजट/2017-18.—

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में

प्रशासक

भारतीय यूनिट ट्रस्ट का विनिर्दिष्ट उपक्रम (एसयूयूटीआई)

मुंबई

वित्तीय विवरणियों पर रिपोर्ट

हमने यथा 31 मार्च, 2017 तक भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम(एसयूयूटीआई) के संलग्न तुलन पत्रों एवं उक्त तिथि को समाप्त वर्ष हेतु संलग्न संबंधित राजस्व लेखे तथा महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के सारांश एवं अन्य विवरणात्मक सूचनाओं की लेखापरीक्षा की है।

वित्तीय विवरणियों हेतु प्रबंधन का उत्तरदायित्व

प्रबंधन, उक्त वित्तीय विवरणियों की तैयारी हेतु उत्तरदायी है, जो भारत में, सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार हैं, जिसमें भारतीय सनदी लेखाकार संस्था द्वारा जारी लेखा मानकों, जो गैर कार्पोरेट इकाइयों पर लागू होते हैं, भी शामिल हैं, के अनुसार एसयूयूटीआई की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन का सही एवं उचित चित्र दर्शाते हैं। उक्त दायित्व में, एसयूयूटीआई की आस्तियों की सुरक्षा एवं छलकपट तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा पता लगाने हेतु 'भारतीय यूनिट ट्रस्ट'(उपक्रम का अंतरण एवं निरसन) अधिनियम, 2002(जिसे आगे से 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया जाएगा) के प्रावधानों के अनुसार लेखा के पर्याप्त अभिलेखों का रखरखाव, लेखा की उपयुक्त नीतियों का चयन एवं प्रयोग, यथोचित एवं विवेकशील निर्णय तथा आकलन, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय

नियंत्रण की रचना, कार्यान्वयन एवं रखरखाव जो लेखा अभिलेखों की शुद्धता एवं पूर्णता सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी रूप से संचालित किए गए हैं, भी शामिल हैं, जो वित्तीय विवरणियों की तैयारी एवं प्रस्तुति के प्रासंगिक हैं तथा सही एवं साफ चित्र दर्शाते हैं और विषय की गलत बयानी से, चाहे छलकपट से अथवा त्रुटि से, मुक्त हैं।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व, हमारे द्वारा संपन्न लेखापरीक्षा के आधार पर, इन विवरणियों पर विचार व्यक्त करना है। हमने, लेखा तथा लेखापरीक्षा के प्रावधानों एवं अधिनियम के प्रावधानों के तहत लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले विषयों तथा उसके आधार पर बनाए गए नियमों को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की है। हमने लेखापरीक्षा का संचालन, भारतीय सनदी

लेखाकार संस्था द्वारा लेखापरीक्षा पर जारी मानकों के अनुसार किया है। इन मानकों के अनुसार यह अपेक्षा की जाती है कि हम लेखापरीक्षा की योजना बनाकर उसका कार्यनिष्पादन करें ताकि हमें उचित आश्वासन प्राप्त हो सके कि ये वित्तीय विवरण भौतिक गलतियों से परे हैं।

लेखापरीक्षा में, वित्तीय विवरणियों में दी गई राशि के समर्थन में साक्ष्य एवं प्रकटन के निष्पादन की प्रक्रियाएं शामिल की जाती हैं। चयनित प्रक्रियाएं, लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर होती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों की भौतिक गलतबयानी के जोखिम, चाहे छलकपट से हो अथवा त्रुटि से, का आकलन भी शामिल है। उक्त जोखिम मूल्यांकनों की रचना के दौरान लेखापरीक्षक, परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा की प्रक्रियाओं की रचना हेतु वित्तीय विवरणियां जो उचित एवं साफ चित्र दर्शाती हैं, की तैयारी एवं उचित प्रस्तुति के लिए आंतरिक नियंत्रण को प्रासंगिक मानते हैं, परंतु आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर विचार व्यक्त करने के प्रयोजन हेतु नहीं। लेखापरीक्षा में, प्रयोग में लाई गई लेखा संबंधी नीतियों का निर्धारण एवं प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलन का मूल्यांकन भी किया जाता है और साथ ही समस्त वित्तीय विवरणियों की प्रस्तुति का मूल्यांकन भी किया जाता है। हमारा विश्वास है कि उक्त वित्तीय विवरणियों पर, हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर्याप्त है एवं लेखापरीक्षा संबंधी हमारे विचारों के लिए उचित आधार प्रदान करता है।

विचार:

हमारी राय में और हमें दी गई सर्वोत्तम सूचनाओं और स्पष्टीकरणों के अनुरूप, उपरोक्त वित्तीय विवरणियां, "अधिनियम" की आवश्यकताओं और आवश्यक प्रारूप के अनुसार तैयार की गई हैं तथा भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धांतों की पुष्टि करते हुए सही एवं उचित चित्र दर्शाती हैं:

- (क) तुलन पत्र के मामले में, यथा 31 मार्च, 2017 को स्थिति
- (ख) राजस्व लेखा के मामले में, उक्त तिथि को समाप्त वर्ष हेतु आय की व्यय से अधिकता

अन्य कानूनी एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

अधिनियम के तहत आवश्यकता के अनुरूप हम रिपोर्ट करते हैं कि:

- क. हमने वह सारी सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के मुताबिक हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे;
- ख. हमारे विचार में, अधिनियम की आवश्यकतानुसार, बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है कि अब तक लेखा संबंधी उचित बहियां संयोजित कर रखी गई हैं।
- ग. इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन पत्र, राजस्व लेखे, लेखा बहियों के समनुरूप हैं।
- घ. हमारे विचार में, उपरोक्त वित्तीय विवरणियां, भारत में सनदी लेखाकार संस्था द्वारा जारी गैर कापॉरिट इकाइयों हेतु लागू लेखा मानकों का अनुसरण करती हैं;

कृते जी.डी. आपटे एवं कंपनी

सनदी लेखाकार

संस्था पंजीकरण संख्या. 100515W

चेतन आर. सप्रे

भागीदार

सदस्यता संख्या: 116952

मुंबई

30 जून, 2017

भारतीय यूनिट ट्रस्ट का विनिर्दिष्ट उपक्रम**महत्वपूर्ण लेखा नीतियां****क. आय निर्धारण**

- I लाभांश आय निम्नलिखित आधार पर निर्धारित मानी जाती है:
- क. सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों के संबंध में लाभांश आय, "लाभांश रहित" तारीख को प्रोद्भूत होती है।
- ख. असूचीबद्ध इक्विटी शेयरों के संबंध में लाभांश आय, घोषणा की तारीख को प्रोद्भूत होती है।
- ग. अधिमान शेयरों के संबंध में लाभांश आय, प्राप्ति की तारीख को प्रोद्भूत होती है।
- II. डिवेंचर एवं अन्य नियत आय वाले निवेशों पर व्याज का निर्धारण, प्रोद्भवन आधार पर आय माना जाता है।
- III. निवेशों की बिक्री से होनी वाली लाभ या हानि का निर्धारण बिक्री तारीख को भारित औसत लागत के आधार पर किया जाता है।
- IV. यूनिट योजना 1964 बॉण्ड, जिसके अंतर्गत अचल आस्तियां हैं, यूटीआई एएमसी लि. द्वारा उपरोक्त आस्तियों के प्रयोगार्थ न्यासी मंडल द्वारा अनुमोदित आपसी सहमति आधार पर सेवा प्रभार वसूल करता है।

ख. यूनिट प्रीमियम प्रारक्षित निधि

यूएस 64 के संबंध में, जहाँ यूनिटें भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष पैकेज के अंतर्गत अंकित मूल्य से अधिक प्रीमियम पर पुनर्खरीद की जा रही हों तो प्रीमियम को यूनिट-प्रीमियम प्रारक्षित निधि में प्रभारित किया जाता है। जब कभी यूएस 64 की यूनिटें, शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) आधारित मूल्यों के अंतर्गत पुनर्खरीद की जाती हैं तो बट्टे को यूनिट प्रीमियम प्रारक्षित निधि में जमा किया जाता है।

ग. व्यय

यह, प्रोद्भवन आधार पर हिसाब में लिए जाते हैं।

घ. निवेश

- निवेश लागत अथवा घटी हुई लागत पर बताए जाते हैं।
- द्वितीयक बाजार में प्रतिभूतियों की खरीद/बिक्री को व्यापार की तारीख को हिसाब में लिया जाता है।
- निवेश की लागत में दलाली, सेवा-कर एवं डाक प्रभार शामिल हैं।
- प्राथमिक बाजार में अभिदान, आबंटन पर निवेश के रूप में हिसाब में लिया जाता है।
- अधिकार पात्रता का निवेश के रूप में निर्धारण "अधिकार रहित" तारीख को किया जाता है।

- vi. बोनस पात्रता का निवेश के रूप में निर्धारण, "बोनस रहित" तारीख को किया जाता है।
- vii. डिबेंचर/बॉण्ड, ऋणों एवं जमाराशियों में निवेश का शोधन/देय तारीख से चालू आस्तियों में हिसाब में लिया एवं दिखाया जाता है।

ड निष्पादित निवेशों का मूल्यांकन

I. इक्विटी एवं इक्विटी संबद्ध प्रतिभूतियां

अ. कारोबारी प्रतिभूतियां

जब किसी प्रतिभूति का किसी शेयर बाज़ार में 30 दिनों (मूल्यांकन तिथि सहित) के भीतर लेनदेन किया जाता है एवं ऐसी अवधि के दौरान लेनदेन की समग्र मात्रा 50,000 से अधिक होती हो अथवा लेनदेन की मात्रा रु. 5,00,000 से अधिक हो तो प्रतिभूति को कारोबारी प्रतिभूति कहा जाता है। इनका मूल्यांकन बीएसई के अंतिम बंद मूल्य पर किया जाता है तथा इसकी अनुपस्थिति में एनएसई का अंतिम बंद मूल्य लिया जाता है।

आ. गैर कारोबारी/कम कारोबारी/असूचीबद्ध प्रतिभूतियां

प्रतिभूतियों में निवेश, जिसका उपरोक्तानुसार किसी भी शेयर बाज़ार में लेनदेन नहीं किया गया है, का मूल्यांकन उचित मूल्य पर निर्धारित किया जाता है, जिसका विवरण नीचे प्रस्तुत है:

नवीनतम उपलब्ध तुलन पत्र के आधार पर, शुद्ध संपत्ति की गणना निम्नलिखित रूप से की जाएगी -

शेयर पूंजी

जोड़ें - आरक्षित निधि (पुनःमूल्यांकन आरक्षण निधि को शामिल न करते हुए)

घटाएं - विविध व्यय

घटाएं - अमूर्त आस्तियां (अनोद्धृत प्रतिभूतियों के मामले में)

घटाएं - लाभ एवं हानि खाते (ऋण शेष)

परिणामी आंकड़ा, कंपनी की शुद्ध संपत्ति है, जिसे बकाया शेयरों की संख्या से विभाजित किए जाने पर प्रति शेयर का कुल मूल्य(नेटवर्थ) प्राप्त होता है।

प्रति शेयर अर्जन को बट्टाकृत औद्योगिक पी/ई(लाभ/अर्जन) अनुपात से गुणा करने पर पूंजीकृत अर्जन मूल्य प्राप्त किया जा सकता है। उद्योग हेतु औसत पूंजीकरण दर(पी/ई अनुपात) में 75% की छूट दी जाएगी। उपरोक्तानुसार गणना किए गए, प्रति शेयर के कुल मूल्य एवं पूंजी अर्जन मूल्य के अनुसार मूल्य का औसत किया जाएगा तथा नकदी की उपलब्धता हेतु उसमें 10% की और अधिक छूट दी जाएगी ताकि उचित मूल्य प्राप्त किया जा सके। अनोद्धृत इक्विटी शेयरों के मामले में छूट संबंधी घटक, 10% के बजाए 15% होगा।

प्रति शेयर अर्जन(ईपीएस), के नकारात्मक(-ve) होने की स्थिति में, पूंजीकृत अर्जन का आंकड़ा प्राप्त करने हेतु उक्त वर्ष हेतु मूल्य को शून्य माना जाएगा। वर्ष के समापन से 6 महीनों के अंदर, नवीनतम तुलनपत्र के उपलब्ध न होने की स्थिति में, ऐसी कंपनियों के शेयरों का मूल्य, शून्य माना जाएगा। कंपनी का कुल मूल्य नकारात्मक(-ve) होने पर, शेयर को शून्य पर चिन्हित किया जाएगा।

II. डिबेंचर, बॉण्ड, सावधि ऋण एवं अंतरणीय नोट - ऋण प्रतिभूतियां -

अ. कारोबारी प्रतिभूतियां -

डिबेंचर एवं बॉण्डों में निवेश का मूल्यांकन, मूल्यांकन की तिथि को अंतिम बाज़ार दर पर किया जाता है और इसकी अनुपस्थिति में मूल्यांकन तिथि से 15 दिन की अवधि के दौरान उपलब्ध नवीनतम भाव पर किया जाता है बशर्ते उस प्रतिभूति का मुख्य शेयर बाज़ार अथवा अन्य किसी शेयर बाज़ार में विक्रय योग्य लॉट (वर्तमान में रु. 5 करोड़) में अलग-अलग लेनदेन हुआ हो।

आ. गैर कारोबारी/कम कारोबारी प्रतिभूतियां -

गैर कारोबारी/कम कारोबारी प्रतिभूतियों में निवेश का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाता है:

i. दर्जाकृत ऋण प्रतिभूतियां -**60 दिनों से अधिक अवशेष परिपक्वता अवधि वाली ऋण प्रतिभूतियां**

60 दिनों से अधिक की अवशेष परिपक्वता अवधि वाली ऋण प्रतिभूतियों में निवेश का मूल्यांकन क्रिसिल एवं आईसीआरए द्वारा प्रदान की जाने वाली औसतन मूल्यों पर किया जाता है।

60 दिनों की परिपक्वता अवशेष अवधि वाली ऋण प्रतिभूतियां

60 दिनों की परिपक्वता अवशेष अवधि वाली ऋण प्रतिभूतियों में निवेश का मूल्यांकन, मूल्यांकन तिथि को प्रतिभूतियों के परिशोधन के आधार पर किया जाता है।

पुट/कॉल ऑप्शन वाली ऋण प्रतिभूतियां

कॉल ऑप्शन वाली प्रतिभूतियों का मूल्यांकन निम्नतम कॉल पर किया जाता है और पुट ऑप्शन वाली प्रतिभूतियों का मूल्यांकन सबसे अधिक पुट पर किया जाता है। पुट एवं कॉल दोनों ऑप्शन वाली प्रतिभूतियां पुट/कॉल तिथि को परिपक्व हुई समझी जाएंगी एवं तदनुसार मूल्यांकित होंगी।

पूर्णतः/अंशतः/वैकल्पिक परिवर्तनीय डिबेंचर:

- डिबेंचरों के परिवर्तनीय भाग का मूल्यांकन, जहाँ परिवर्तन की शर्तें उपलब्ध हों, क्रमशः कारोबारी एवं कम कारोबारी/गैर कारोबारी इक्विटी हेतु लागू बाज़ार के अंतिम मूल्य अथवा उचित मूल्य में से नकदीकरण हेतु 10% बढ़ा काट कर किया जाता है।
- परिवर्तनीय डिबेंचरों के गैर परिवर्तनीय भाग एवं परिवर्तनीय डिबेंचरों की सम्पूर्ण राशि का मूल्यांकन, जहाँ परिवर्तन की शर्तें लागू न हों, पैरा ड (II) के अनुसार गैर परिवर्तनीय डिबेंचरों के लिए लागू मापदण्डों के अनुसार किया जाता है।

ii अदर्जाकृत/गैर निवेश श्रेणी वाली ऋण प्रतिभूतियां -

अदर्जाकृत/गैर निवेश श्रेणी वाली ऋण प्रतिभूतियों का मूल्यांकन उनके अंकित मूल्य में से 25 प्रतिशत बढ़ा काटकर किया जाता है जबकि दीर्घावधि बढ़ा वाले बाण्डों का मूल्यांकन उनके अंतर्निहित लागत में से 25 प्रतिशत बढ़ा काट कर किया जाता है।

III अनोद्धृत वारंट

अनोद्धृत वारंटों का मूल्यांकन लाभांश तत्व के लिए बढ़ाकृत, यदि कोई हो, अंतर्निहित इक्विटी शेयर के बाज़ार मूल्य में से देय प्रायोगिक मूल्य घटा दिया जाता है। जिन मामलों में इस प्रकार प्राप्त मूल्य, देय प्रायोगिक मूल्य से अधिक होता है वहाँ वारंटों का मूल्य शून्य लिया जाता है और जहाँ देय प्रायोगिक मूल्य उपलब्ध नहीं है अथवा अंतर्निहित इक्विटी, गैर कारोबारी/असूचीबद्ध है तो ऐसे वारंट का मूल्य लागत पर लिया जाता है।

IV अधिकार पात्रता:

शेयरों की अधिकार पात्रता का मूल्यांकन शेयरों के बाज़ार मूल्य में से देय प्रायोगिक मूल्य को घटाकर तथा लाभांश तत्व के लिए बढ़ा काट कर, जहाँ लागू हो, किया जाता है।

V मुद्रा बाज़ार की लिखते:

मुद्रा बाज़ार की लिखतों में निवेश का मूल्यांकन लागत तथा मूल्यांकन तिथि तक उपार्जित ब्याज पर किया जाता है।

VI अनोद्धृत/कम कारोबारी अधिमान शेयर:

- अधिमान शेयरों के दर्जे के अभाव में किसी कंपनी की उपलब्ध ऋण लिखतों के दर्जे प्रयोग मूल्यांकन हेतु किया जाता है।
- 'अदर्जाकृत' एवं 'निवेश श्रेणी से निम्न' श्रेणी वाले अधिमान शेयरों का मूल्यांकन अंकित मूल्य के 25% बढ़े पर किया जाता है।

- iii. संचयी परिवर्तनीय अधिमान शेयरों का मूल्यांकन, पूर्णतः परिवर्तनीय डिबेंचरों के मूल्यांकन हेतु लागू मानदण्डों के अनुसार किया जाता है। यदि परिवर्तन के ब्यौरे उपलब्ध न हों तो वे सामान्य अधिमान शेयर माने जाते हैं और तदनुसार मूल्यांकित किए जाते हैं।
- iv. अधिमान शेयरों पर 90 दिनों के भीतर लाभांश प्राप्त न होने के मामले में मूल्यांकन हेतु 15% बढ़ा लागू किया जाता है। यदि बकाया 1 वर्ष से अधिक तक जारी रहता हो, तब 20% का बढ़ा लागू होता है।
- v. यदि प्रतिदान राशि 90 दिनों के भीतर प्राप्त नहीं होती है तो प्राप्य प्रतिदान हेतु 100% प्रावधान बनाया जाता है। यदि प्रतिदान किस्तों में हो और प्रतिफल 90 दिनों के भीतर प्राप्त नहीं होता है तो प्राप्य प्रतिदान हेतु प्रावधान के अतिरिक्त शेष राशि पर ऊपर दिए गए अनुसार बढ़ा लागू होता है।
- vi. यदि अधिमान शेयरों के प्रति पहले से ही प्रावधान किया गया हो तथा कंपनी द्वारा जारी कोई अन्य आस्ति गैर निष्पादी हो तो ऐसे अधिमान शेयरों को शून्य पर मूल्यांकित किया जाता है।

VII. म्यूचुअल फंड की यूनिटें

म्यूचुअल फंड की सूचीबद्ध एवं कारोबारी यूनिटों का मूल्यांकन, मूल्यांकन तिथि की अंतिम कारोबारी मूल्य पर किया जाता है। एमएफ की असूचीबद्ध यूनिटें तथा सूचीबद्ध परंतु गैर कारोबारी यूनिटों का मूल्यांकन, मूल्यांकन तिथि को उपलब्ध शुद्ध आस्ति मूल्य(एनएवी) पर किया जाता है।

VIII. कार्पोरेट कार्रवाई

कार्पोरेट कार्रवाइयाँ, जैसे विलयन, अविलयन की सूचना मूल्यांकन समिति को प्रस्तुत की जाती है ताकि उक्त प्रतिभूतियों की लागत की जानकारी प्राप्त की जा सके।

च. प्रावधान एवं मूल्यहास:

I. निवेश के मूल्य में मूल्यहास:

उपरोक्त मानदण्डों के अनुसार संगणित निवेशों के कुल मूल्य की तुलना ऐसे निवेशों की कुल लागत से की जाती है और परिणामस्वरूप मूल्यहास, यदि कोई हो, राजस्व लेखे से प्रभारित किया जाता है। यदि ऐसा कुल मूल्य, कुल लागत या पिछले वर्ष के अंत के कुल मूल्य से अधिक हो तो पहले समायोजित किए गए मूल्यहास की सीमातक मूल्यवृद्धि राजस्व लेखे में पुनः जमा कर दी जाती है।

II. गैर निष्पादी आस्तियों हेतु प्रावधान: (एनपीए)

- i. आस्ति को गैर निष्पादी(एनपीए) वर्गीकृत किए जाने की तिथि से पहले की अवधि के बकाया ब्याज के संबंध में प्रावधान किया गया है। ऐसी आस्तियां जिनका ब्याज/मूलधन, एक तिमाही अर्थात् 90 दिन अथवा उससे अधिक दिनों से ऐसी आय/किस्तें देय हों, उन्हें गैर निष्पादी आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ब्याज एवं निवेश का प्रावधान आस्ति के एनपीए वर्गीकृत किए जाने की तिथि से किया जाता है।
- ii. एनपीए पर प्रावधान को राजस्व लेखे में प्रभारित किया जाता है।
- iii. देय राशि की प्राप्ति पर उपरोक्त किए गए प्रावधान को चरणबद्ध रीति से पुनरांकित किया जाता है।
- iv. लाभांश के संबंध में प्रावधान किया जाता है, यदि वह लाभांश-रहित तिथि से 120 दिन से अधिक तक बकाया बना रहे।

छ अंतर योजना कारोबार (आईएसटी)

कारोबारी इक्विटी शेयर: कारोबारी प्रतिभूतियों की आईएसटी, यथा आईएसटी तिथि, अंतर दिन (स्पॉट मूल्य) पर प्रभावित होता है और इसकी अनुपस्थिति में पिछले 30 दिनों के दौरान उपलब्ध नवीनतम अंतिम बाज़ार मूल्य पर किया जाता है।

ज अभिरक्षक

भारतीय स्टॉक धारिता निगम(एसएचसीआईएल) अभिरक्षक सेवाएं प्रदान करता है तथा प्रोद्भवन आधार पर उनके शुल्क की गणना की जाती है।

झ अचल आस्तियां

- अचल आस्तियों का उल्लेख पूर्ववर्ती लागत में संचित मूल्यहास घटाकर किया जाता है, सिवाय भूमि, भवन, परिसर और भवनों में सुधार के संदर्भ में, जिन्हें संचित मूल्यहास घटाकर पुनर्मूल्यांकित लागत पर दर्शाया जाता है। पुनर्मूल्यांकन की दशा में, परिणामतः पुनर्मूल्यांकन पर आधिक्य को पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि में दर्शाया जाता है। पुनर्मूल्यांकन के कारण मूल्यवृद्धि की राशि पर मूल्यहास को पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि में प्रभारित किया जाता है।
- मूल्यहास का प्रावधान घटी हुई लागत पद्धति से निम्नलिखित दरों पर किया जाता है। ऐसी आस्तियों को छोड़कर जो लेखा वर्ष के दौरान छः माह से कम अवधि के लिए धारित हों, जिनके मूल्यहास का प्रावधान उल्लिखित से आधे दर पर किया जाता है -

भवन एवं स्वामित्व वाले परिसर	5%
फर्नीचर एवं फिक्सचर	10%
कार्यालय उपकरण, भवन सुधार, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर एवं मोटर वाहन	33.33%

पट्टे पर जमीन एवं परिसर का परिशोधन, पट्टे की अवधि में समान रूप से किया जाता है।

- ऐसे परिसरों, जिनकी पट्टे की अवधि 8 वर्ष से अधिक हो जाए, में भवन सुधारों का मूल्यहास 33.33% की दर से किया जाता है, तथापि, पट्टावधि 8 वर्ष से अधिक न होने के मामले में, उसे 8 वर्ष की अवधि के बाद परिशोधित किया जाता है और 8 वर्षों की अवधि के भीतर पट्टा नवीकृत न होने के मामले में, बकाया परिशोधित राशि पट्टे के अंतिम वर्ष में प्रभारित की जाती है।
- अचल आस्तियां, जो संस्थापित हैं एवं प्रयोग में लायी जाती हैं, देयताओं का अंतिम निपटान लंबित रहने तक, अनुमोदित आधार पर उल्लिखित की जाती हैं। अंतिम निपटान होने पर मूल्यहास, आस्ति के प्रयोग में लाए जाने की तारीख से समायोजित किया जाता है।
- अचल आस्तियों की बिक्री पर, लागत की अवलिखित राशि एवं पुनर्मूल्यांकन पर अचल आस्तियों की मूल्यवृद्धि को घटाने पर प्राप्त लाभ/हानियां, राजस्व लेखे में हिसाब में ली जाती हैं। बेची गई आस्तियों हेतु पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि में बकाया शेष को सामान्य प्रारक्षित निधि में अंतरित कर दिया गया है।

ञ प्रारक्षित निधि:

पूर्ववर्ती भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 की धारा 25ख(1) के प्रावधानों के अनुसार दो फंड, अर्थात् आस्ति पुनर्संरचना फंड एवं कर्मचारी कल्याण फंड, जिनका गठन विकास आरक्षित फंड से किया गया था, हालांकि जो एसयूटीआई का अंश है, प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से यूनिट योजना 1964 बाण्ड के लेखों में लिखे जाते हैं।

**भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक
31 मार्च, 2017 का तुलन पत्र**

रु. लाख में

	एसयूटीआई	
	31.03.2017	31.03.2016
पूंजी	-	-
प्रारक्षित निधि और अधिशेष	1,97,693.20	3,09,598.90
वर्तमान देयताएं और प्रावधान	3,06,000.94	3,24,860.45
अन्य फंड का आकार	1,87,365.65	1,73,737.81
अन्य फंड की वर्तमान देयताएं और प्रावधान	62,373.98	73,630.16
अन्य फंड	2,49,739.63	2,47,367.97
कुल देयताएं	7,53,433.77	8,81,827.32

आस्तियां		
निवेश	4,58,960.49	5,27,380.51
जमाराशियां	30,000.00	87,495.00
चालू आस्तियां	11,700.75	15,381.26
अचल आस्तियां	3,032.90	4,202.58
अन्य फंड की आस्तियां	2,49,739.63	2,47,367.97
कुल आस्तियां	7,53,433.77	8,81,827.32

लेखा टिप्पणियां

महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण लेखे का अभिन्न भाग है।

समतिथि के संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते जी.डी. आपटे एवं कंपनी
सनदी लेखाकार

संस्था पंजीकरण संख्या 100515W

चेतन सप्रे
भागीदार
आईसीएआई सदस्यता संख्या 116952

इम्तेयाजुर रहमान
मुख्य वित्तीय अधिकारी

के. एन. पृथ्वीराज
सलाहकार

वी. बाबू राव
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

मुंबई

दिनांक : 30 जून, 2017

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक
1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 की अवधि हेतु राजस्व लेखा

रुपए लाख में

	एसयूटीआई	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
आय		
लाभांश	1,05,857.75	82,291.58
ब्याज	10,926.90	11,868.85
अंतर योजना कारोबार के अतिरिक्त निवेशों की विक्री/मोचन पर लाभ	8,09,613.92	23,274.32
अन्य आय	606.19	539.11
पूर्व अवधि का आय	154.87	(134.75)
पिछले वर्ष की संदिग्ध आय के लिए किया गया प्रावधान, पुनरांकित	-	9.87
संदिग्ध निवेशों एवं जमाराशियों के प्रति प्रावधान, पुनरांकित	105.87	370.07
पुनरांकित प्राप्य हेतु प्रावधान	-	3.27

	उप योग (क)	9,27,265.50	1,18,222.32
घटाएं: संदिग्ध आय हेतु प्रावधान		49.92	29.30
घटाएं: संदिग्ध निवेश एवं जमाराशियों हेतु प्रावधान		-	-
	उप योग (ख)	49.92	29.30
	योग (क-ख)	9,27,215.58	1,18,193.02
व्यय			
कार्यालय व्यय		974.19	829.72
प्रचार व्यय		22.34	-
अभिरक्षा, रजिस्ट्रार और बैंक प्रभार		1,738.21	1,676.06
लेखापरीक्षक का शुल्क		15.49	27.58
एएमसी का शुल्क		1,183.26	1,107.90
स्थाई आस्तियों में मूल्यहास		61.29	64.71
	उप योग (क)	3,994.78	3,705.97
जोड़े: अंतर योजना कारोबार के अतिरिक्त निवेशों की बिक्री/मोचन पर हानि		8.20	175.61
	उप योग (ख)	8.20	175.61
	योग (क)+(ख)	4,002.98	3,881.58
	व्यय से आय की अधिकता	9,23,212.60	1,14,311.44
	योग	9,27,215.58	1,18,193.02

**भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक
1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 की अवधि हेतु राजस्व विनियोजन लेखा**

रुपए लाख में

	एसयूयटीआई	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
राजस्व विनियोजन लेखा		
व्यय से आय की अधिकता	9,23,212.60	1,14,311.44
घटाएं : परिपक्वता पर प्रीमियम - मोचन	(0.66)	(0.75)
	योग	9,23,211.94
शेष सामान्य आरक्षित निधि में अंतरित	9,23,211.94	1,14,310.69
	योग	9,23,211.94

महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण लेखे का अभिन्न भाग है।

समतिथि के संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते

जी.डी.आपटे एवं कंपनी

सनदी लेखाकार

संस्था पंजीकरण संख्या 100515W

चेतन सप्रे

इम्तेयाज़ुर रहमान

के.एन. पृथ्वीराज

बी.बाबू राव

भागीदार

मुख्य वित्तीय अधिकारी

सलाहकार

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

आईसीएआई सदस्यता संख्या 116952

मुंबई

दिनांक: 30 जून, 2017

**भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक
31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं**

रुपए लाख में

	एसयूयूटीआई	
	31.03.2017	31.03.2016
तालिका 'क'		
पूंजी		
बॉण्ड पूंजी	-	-
योग	-	-
तालिका 'ख'		
प्रारक्षित निधि एवं अधिशेष		
यूनिट प्रीमियम प्रारक्षित निधि		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष (यूपीआर)	(2,79,463.84)	(2,79,463.84)
वर्ष के दौरान संग्रहित(प्रदत्त) प्रीमियम (शुद्ध)	-	-
योग	(2,79,463.84)	(2,79,463.84)
स्थाई संपत्तियां पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष(पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि)	2,865.67	2,921.01
घटाएं: स्थाई संपत्तियों पर मूल्यहास में अंतरित	989.83	55.34
घटाएं: सामान्य प्रारक्षित निधि में अंतरित	15.94	-
योग	1,859.90	2,865.67

**भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक
31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं (जारी)**

रुपए लाख में

	एसयूयूटीआई	
	31.03.2017	31.03.2016
तालिका 'ख' (जारी.)		
सामान्य प्रारक्षित निधि		
यूनिट पूंजी पर सामान्य प्रारक्षित निधि		

पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	5,86,197.07	7,11,886.38
राजस्व विनियोजन लेखे से अंतरित	9,23,211.94	1,14,310.69
स्थाई संपत्तियां पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि से अंतरित	15.94	-
भारत सरकार को विप्रेषण	10,34,127.81	2,40,000.00
उप योग (क)	4,75,297.14	5,86,197.07
कुल योग	1,97,693.20	3,09,598.90
तालिका 'ग'		
चालू देयताएं और प्रावधान		
चालू देयताएं		
विविध लेनदार	1,67,633.63	1,38,398.05
भारत सरकार को देय	-	43,743.10
संवीक्षाधीन आवेदन राशि	231.87	231.87
अदावी आय/लाभांश वितरण	1,28,124.99	1,32,421.04
योग (क)	2,95,990.49	3,14,794.06
प्रावधान		
संदिग्ध आय हेतु प्रावधान	650.88	600.95
संदिग्ध निवेशों एवं जमाराशियों हेतु प्रावधान	8,055.48	8,161.35
प्राप्य हेतु प्रावधान	1,304.09	1,304.09
योग (ख)	10,010.45	10,066.39
कुल योग (क)+(ख)	3,06,000.94	3,24,860.45

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक
31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं (जारी)

रुपए लाख में

	एसयूयूटीआई	
	31.03.2017	31.03.2016
तालिका घ		
अन्य फंड		
(क) कर्मचारी कल्याण फंड (एसडबल्यूएफ)		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	38,264.18	34,592.41
वर्ष के दौरान प्राप्त आय/ब्याज	3,617.29	3,720.73
फंड का उपयोग	33.07	48.96
फंड का आकार - उप योग (क)	41,848.40	38,264.18
चालू देयताएं एवं प्रावधान		
विविध लेनदार	0.11	0.22
उप योग (ख)	0.11	0.22
कुल योग 'ग' = (क+ख)	41,848.51	38,264.40
(ख) आस्ति पुनःसंरचना निधि (एआरएफ)		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	1,35,473.63	1,26,895.99
वर्ष के दौरान प्राप्त आय/ब्याज	10,191.23	8,786.77
फंड का उपयोग	147.61	209.13
फंड का आकार - उप योग (क)	1,45,517.25	1,35,473.63
चालू देयताएं एवं प्रावधान		
विविध लेनदार	1,291.61	766.26

संदिग्ध आय के लिए प्रावधान	4,416.05	5,424.34
संदिग्ध निवेशों एवं जमाराशियों हेतु प्रावधान	56,666.21	67,439.34
उप योग (ख)	62,373.87	73,629.94
कुल योग 'घ' = (क+ख)	2,07,891.12	2,09,103.57
अन्य फंडों का आकार - योग I	1,87,365.65	1,73,737.81
अन्य फंडों की चालू देयताएं और प्रावधान - योग II	62,373.98	73,630.16
अन्य फंड कुल योग (क+ख)	2,49,739.63	2,47,367.97

**भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक
31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं (जारी)**

रुपए लाख में

	एसयूटीआई	
	31.03.2017	31.03.2016
तालिका 'ड'		
निवेश		
डिवेंचर एवं बॉण्ड	0.01	0.01
अधिमान शेयर	1,089.23	1,089.23
इक्विटी शेयर	4,27,809.34	4,96,229.36
म्यूचुअल फंड की यूनिटें	30,061.91	30,061.91
योग	4,58,960.49	5,27,380.51
उद्धृत (लागत पर)	3,77,997.65	4,46,774.55
अनोद्धृत (लागत पर)	80,962.84	80,605.96
'क'	4,58,960.49	5,27,380.51
उद्धृत (बाजार मूल्य)	54,27,786.55	51,07,944.27
अनोद्धृत (मूल्यांकन पर)	99,255.17	88,997.90
'ख'	55,27,041.72	51,96,942.17
निवेशों के मूल्य में मूल्यवृद्धि/(मूल्यहास)		
योग ('ख' - 'क')	50,68,081.23	46,69,561.66
तालिका 'च'		
जमाराशियां		
बैंक में जमाराशियां	30,000.00	87,495.00
अन्य जमाराशियां	-	-
योग	30,000.00	87,495.00
तालिका 'छ'		
चालू आस्तियां		
बैंकों में चालू खाता शेष	1,180.72	1,109.39
विविध देनदार	8,286.60	8,401.89
बकाया और प्रोद्भूत आय	2,209.18	5,845.11
अग्रिम, जमाराशियां आदि	24.25	24.87
योग	11,700.75	15,381.26

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक
31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं (जारी..)
यू एस 64 बॉण्ड

तालिका 'झ'
अचल अस्तियां

(रुपए लाख में)

	लागत पर कुल ब्लॉक				मूल्यहास						शुद्ध ब्लॉक	
	यथा 31 मार्च, 2016	जमा/समायोजन	कटीती/समायोजन	कुल यथा 31.03.2017	यथा 31 मार्च, 2106	कटीती/समायोजन	1.4.16 से 31.03.17 तक लागत पर हास	1.4.16 से 31.03.17 तक पुनर्मूल्यांकित लागत पर हास	कुल मूल्यहास 1.4.16 TO 31.03.17	यथा 31.03.17 कुल	यथा 31 मार्च, 2017	यथा 31 मार्च, 2016
जमीन पूर्ण स्वामित्व	832.88	0.00	808.84	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.04	832.88
भवन	254.90	0.00	48.48	206.42	140.36	29.28	0.77	4.83	5.60	116.68	89.74	114.54
स्वामित्व वाले परिसर	8350.36	0.00	157.62	8192.74	5097.54	(17.10)	59.68	100.32	160.00	5274.64	2918.10	3252.82
कार्यालय उपकरण	1.49	0.00	0.14	1.35	1.00	0.00	0.12	0.00	0.12	1.12	0.23	0.49
कंप्यूटर	960.08	0.50	959.02	1.56	958.23	958.18	0.71	0.00	0.71	0.77	0.79	1.85
योग	10399.71	0.50	1974.10	8426.11	6197.13	970.36	61.29	105.15	166.43	5393.21	3032.90	4202.58

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं (जारी)

रुपए लाख में

	एसयूटीआई	
	31.03.2017	31.03.2016
तालिका 'अ'		
अन्य फंडों की आस्तियां		
(क) कर्मचारी कल्याण फंड(एसडबल्यूएफ) की आस्तियां		
इक्विटी शेयर	-	-
म्यूचुअल फंड की यूनितें	1,487.81	2,460.31
अन्य जमाराशियां/बैंक के पास जमाराशियां	322.93	3,698.02
लागत पर निवेश	उप योग (क)	
	1,810.74	6,158.33
चालू आस्तियां		
विविध देनदार	40,037.77	32,106.07
उप योग (ख)	40,037.77	32,106.07
कुल योग ग = (क+ख)	41,848.51	38,264.40
(ख) आस्ति पुनर्संरचना फंड(एआरएफ) की आस्तियां		
डिबेंचर एवं बॉण्ड	23.45	46.91
इक्विटी शेयर	5.93	5.93
म्यूचुअल फंड की यूनितें	22,214.74	21,828.15
मियादी ऋण	-	-
अन्य जमाराशियां/बैंक के पास जमाराशियां	996.43	11,809.64
लागत पर निवेश	उप योग (क)	
	23,240.55	33,690.63
चालू आस्तियां		
बकाया एवं प्रोद्भूत आय	4,465.82	5,475.95
विविध देनदार	1,80,184.75	1,69,936.99
उप योग (ख)	1,84,650.57	1,75,412.94
कुल योग घ = (क+ख)	2,07,891.12	2,09,103.57
अन्य फंडों की आस्तियां	कुल योग (ग+घ)	
	2,49,739.63	2,47,367.97

भारतीय यूनिट ट्रस्ट का विनिर्दिष्ट उपक्रम

31 मार्च 2017, को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में टिप्पणियां

तालिका "ड"

1. भारत सरकार द्वारा भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 को भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का हस्तांतरण एवं निरसन) अधिनियम, 2002 के ज़रिए निरस्त कर दिया गया है। इस निरसन अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने पूर्ववर्ती यूटीआई को दो इकाइयों अर्थात् भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम (एसयूटीआई) और यूटीआई म्यूचुअल फंड में अंतरित करने और उसमें निहित करने के प्रयोजनार्थ दिनांक 15 जनवरी 2003 की अपनी अधिसूचना के ज़रिए 01 फरवरी 2003 को "नियत तिथि" के रूप में अधिसूचित किया था। ये वित्तीय विवरण, उक्त निरसन अधिनियम के अनुसरण में एसयूटीआई हेतु बनाए गए हैं।
2. भारत सरकार ने यू एस 64 के विनिर्दिष्ट आस्वासित मूल्य पर सीमित पुनर्खरीद सुविधा तथा आश्वासित आय वाली योजनाएं हेतु वित्तीय पैकेज की घोषणा की थी। शुद्ध आस्ति मूल्य(एनएवी) तथा प्रचलित पुनर्खरीद/आश्वासित मूल्य के अंतर हेतु मुआवजा सरकार द्वारा प्रदान किया गया है। इस कमी को यूनिट प्रीमियम प्रारक्षित निधि के अंतर्गत " भारत सरकार के विशेष पैकेज से निधियों का

आगमन" के रूप में हिसाब में लिया गया है और न्यून राशि के रूप में प्राप्त अग्रिम राशि को यूएस 64 के मामले में "विविध लेनदार" के रूप में तथा अन्य योजनाओं हेतु न्यून राशि को "सामान्य प्रारक्षित" के अंतर्गत दर्शाते हुए डीआरएफ में रखा गया है जिसमें सरकार से प्राप्त सभी अनुदान को " भारत सरकार से प्राप्त अनुदान" के रूप में लेखे में लिया गया है। वर्ष 2015-16 के दौरान डीआरएफ की बहियों को यूएस 64 के बॉण्ड में विलयित कर दिया गया है।

3. निम्नलिखित वर्णानुसार, वर्ष के दौरान, लार्सन एवं टूब्रो के 1,48,23,702 इक्विटी शेयर तथा आईटीसी के 24,25,22,289 इक्विटी शेयरों की बिक्री की गई। उक्त शेयरों की बिक्री पर, रु. 8094.78 करोड़ की राशि, लाभ के रूप में दर्ज की गई है। भारतित औसत लागत को उक्त शेयरों की अधिग्रहण लागत के रूप में माना गया है।

लार्सन एवं टूब्रो लिमिटेड

(रु. करोड़ में)

शेयरों की संख्या	बिक्री लागत	बिक्री मूल्य	औसत लागत	क्रय लागत	लाभ
4941234	1414.042	698.71	98.09	48.47	650.24
3683248	1414.069	520.84	98.09	36.13	484.71
1257986	1414.075	177.89	98.09	12.34	165.55
4941234	1414.445	698.91	98.09	48.47	650.44
14823702	कुल	2096.35		145.41	1950.94

आईटीसी लिमिटेड

शेयरों की संख्या	बिक्री लागत	बिक्री मूल्य	औसत लागत	क्रय लागत	लाभ
161681526	275.536	4454.90	22.20	359.01	4095.89
80840763	275.537	2227.46	22.20	179.51	2047.95
242522289	कुल	6682.36		538.52	6143.84

4. विभिन्न योजनाओं के तहत प्राप्त रु. 2.31 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 2.31 करोड़) की आवेदन राशि, एसयूटीआई की बहियों में बकाया है जिसके संबंध में कोई विवरण उपलब्ध नहीं है।
5. क. रु. 10.88 करोड़ (पिछले वर्ष में रु. 10.88 करोड़) की लागत के असूचीबद्ध/निष्क्रिय अधिमान शेयरों का मूल्यांकन शून्य पर किया गया है क्योंकि "मूल्यांकन समिति" के मतानुसार उक्त अधिमान शेयरों का अवशिष्ट मूल्य नगण्य है।
- ख. अभिरक्षक(एसएचसीआईएल) के साथ हमारी लेखा-बहियों का मिलान करने पर निम्नलिखित अंतर का पता चला है:-
- (i) इक्विटी शेयरों में रु. 2.01 करोड़ (लागत) जिसकी बिक्री हमारे द्वारा बहियों में दिखाई गई है परंतु खरीददारों के डीमैट खाता अवरुद्ध हो जाने के कारण इन शेयरों को जारी नहीं किया जा सका है।
- (ii) अधिमान शेयरों में रु. 0.05 करोड़ (लागत), जिसके संबंध में कंपनियां जवाब नहीं दे रही हैं/जो नकदी की स्थिति में हैं।
- (iii) ऋण पत्रों और बॉण्डों के अंकित मूल्य में रु. 179.77 करोड़ का अंतर है। इसमें से रु. 124.17 करोड़ की वसूली हेतु कानूनी कार्रवाई की गई है तथा रु. 7.87 करोड़ की चुकौती हेतु कंपनी द्वारा पुष्टि/पत्र उपलब्ध है। साथ ही, रु. 25.59 करोड़ हेतु पुनर्संरचना के पश्चात् कंपनी ने जमानत जारी नहीं की है। रु. 22.14 करोड़ के अन्य अंतर, मोचन राशि के प्राप्ति न होने, मोचन राशि को बहियों में बाद में लेखे में लिए जाने अथवा कंपनियों के रुग्ण/परिसमाप्त इत्यादि होने के कारण है।
6. निवेश में निम्नलिखित शामिल हैं -
- (i) पूर्ववर्ती भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 की धारा 19 की उप धारा(3) के अंतर्गत समय-समय पर विस्तारित गैर-जमानती अग्रिम एवं ऋण।

(ii) इक्रीटी एवं ऋण जहाँ कंपनियों द्वारा प्रमाण पत्र जारी किए जाने की प्रक्रिया में है;

(iii) ऋणों में निवेश, जिनके संदर्भ में प्रतिभूति निर्माण किए जाने की प्रक्रिया में है।

7. कंपनियां जिसकी अधिकांश धारिताएं एसयूटीआई के पास है, निम्नानुसार हैं।

कंपनी का नाम	एसयूटीआई धारिता
यूटीआई इन्वेस्टमेंट एडवाइज़री सर्विसेज़ लि.	91.44%
एक्सिस बैंक लि.,	11.48%
यूटीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलोजी एण्ड सर्विसेज़ लि.	100 %

8. एसयूटीआई की संपत्ति के प्रबंधन एवं रख-रखाव संबंधी कार्य एवं तत्संबंधी मामलों को यूटीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलोजी एण्ड सर्विसेज़ लिमिटेड (कंपनी) को ठेके पर (आउटसोर्स) दे दिया गया है। वर्ष के दौरान, कंपनी ने कार्य के स्वरूप एवं संबंधित सेवाओं के लिए एसयूटीआई के साथक औपचारिक करार किया है।

क. एसयूटीआई के स्वामित्व/अधिकार के अंतर्गत स्थित विभिन्न संपत्तियों के प्रलेखीकरण संबंधी औपचारिकताएं, एक निरंतर प्रक्रिया है जिसे कार्यान्वित किया जा रहा है।

ख. एसयूटीआई ने विभिन्न कंपनियों को पट्टे पर संपत्तियां दी हैं, एक्सिस, एनपीसीआई एवं आईआरडीए के साथ औपचारिक करार किए गए हैं। तथापि, भारतीय जीवन बीमा निगम(एलआईसी)के साथ औपचारिक करार की प्रक्रिया जारी है।

9. उपभोक्ता अदालत में लंबित रु. 2.08 करोड़ के मामलों लिए आकस्मिक देयताओं का प्रावधान नहीं किया गया है।

10. आंकड़ों को आवश्यकतानुसार पुनःसमूहित/पुनःवर्गीकृत किया गया है।

इम्तेयाज़ुर रहमान
मुख्य वित्तीय अधिकारी

के. एन. पृथ्वीराज
सलाहकार

बी. बाबू राव
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

कृते जी डी आपटे एवं कंपनी
सनदी लेखाकार

संस्था पंजीकरण संख्या 100515W

चेतन आर. सप्रे

भागीदार

आईसीएआई सदस्यता संख्या 116952

मुंबई

दिनांक: 30 जून, 2017

बी. बाबू राव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन III/4/ असा./ 214/17]

UNIT TRUST OF INDIA**NOTIFICATION**

Mumbai, the 30th June, 2017

No. UT/HD/DOFA/SUUTI-Gazette/2017-18.—**Independent Auditor's Report**

To

The Administrator,

Specified Undertaking of Unit Trust of India (SUUTI)

Mumbai

Report on the Financial Statements

We have audited the accompanying financial statements of **Specified Undertaking of Unit Trust of India (SUUTI)**, which comprise the balance sheet as at 31 March 2017, the revenue account for the year then ended on that date, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's Responsibility for the Financial Statements

The Management is responsible for the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance of the SUUTI in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards applicable to Non Corporate entities issued by Institute of Chartered Accountant of India. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of 'The Unit Trust of India(Transfer of Undertaking and Repeal) Act, 2002 (hereinafter referred to as 'the Act') for safeguarding the assets of the SUUTI and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We have taken into account the provisions of the accounting and auditing standards and matters which are required to be included in the audit report under the provisions of the Act and the Rules made thereunder. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing issued by Institute of Chartered Accountant of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and the disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal financial control relevant to the preparation of the financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the Management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the financial statements.

Opinion

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the financial statements are prepared in accordance with the requirements of the "act" and in the manner so required and gives a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:

- a. In the case of Balance Sheet , of the state of affairs as at 31st March 2017;

b. In case of the Revenue Account, excess of Income over Expenditure for the year ended on that date.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

As required under the Act, We report that:

- (a) we have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit;
- (b) in our opinion proper books of account as required by the Act, have been kept so far as it appears from our examination of those books;
- (c) the balance sheet, the revenue account dealt with by this Report are in agreement with the books of account;
- (d) in our opinion, the aforesaid financial statements comply with the Accounting Standards applicable to non corporate entities issued by the Institute of Chartered Accountants of India;

For G.D. Apte & Co.

Chartered Accountants

Firm Registration No. 100 515W

Chetan R. Sapre

Partner

Membership No.: 116952

Mumbai,

30th June, 2017

SPECIFIED UNDERTAKING OF UNIT TRUST OF INDIA

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

A . Income Recognition:

- I. Dividend income is recognised on the following basis:
 - a. In respect of listed equity shares, dividend income is accrued on the “ex-dividend” date.
 - b. In respect of unlisted equity shares, dividend income is accrued on date of declaration.
 - c. In respect of preference shares, dividend income is accrued on the date of receipt.
- II. Interest on debenture and other fixed income investments is recognised as income on accrual basis.
- III. Profit or loss on sale of investments is recognised on the trade dates on the basis of weighted average cost.
- IV. Unit Scheme 1964 Bonds , which owns the fixed assets, recovers service charges on mutually agreed basis approved by the Board of Advisors , from UTI AMC Ltd. for the usage of the said assets.

B. Unit Premium Reserve:

In respect of US64, where units are repurchased at a premium over the face value under the special package announced by Government of India, the premium is charged to Unit Premium Reserve. Wherever US 64 units are repurchased under the net asset value (NAV) related prices, the discount is credited to unit premium reserve.

C. Expenses:

These are accounted for on accrual basis.

D. Investments

- i. Investments are stated at cost or written down cost.
- ii. Purchase and Sale of Securities in Secondary market are accounted on trade dates.
- iii. The cost of investment includes brokerage, service tax ,stamp charges and other taxes.

- iv. Subscription in primary market is accounted as Investments, upon allotment.
- v. Right entitlements are recognised as Investment on “ex-right” dates.
- vi. Bonus entitlements are recognised as Investment on “ex-bonus” dates.
- vii. Investments in debenture / bonds , loans and deposits are treated and disclosed as current assets from the redemption/due date.

E. Valuation for Performing Investments

I. Equity and Equity related Securities:

a. Traded Securities

When a security is traded on any stock exchange within a period of 30 days (including the valuation date) and the aggregate volume of trade during such period is more than 50,000 or if the trade value is greater than Rs.5,00,000 the security is treated as traded security. These are valued at the closing prices on BSE in absence of which closing price of NSE is taken.

b. Non traded / Thinly traded / Unlisted securities:

Investments in securities, which have not been traded on any stock exchange in the aforesaid manner, are stated at fair value as detailed below.

Based on the latest available Balance Sheet, net worth shall be calculated as follows:

Share Capital

Plus: Reserves (excluding revaluation reserve)

Less: Miscellaneous expenditure

Less: Intangible Assets (in case of unlisted securities)

Less: P & L Accounts (Debit balance)

The resultant figure is the Net Worth of the Company, which when divided by the number of shares outstanding gives the net worth per share.

Capitalized earning price will be arrived at by multiplying the earnings per share with the discounted industry P/E ratio. Average capitalization rate (P/E ratio) for the industry shall be discounted by 75%. The value as per the net worth value per share and capital earning value calculated as above shall be averaged and further discounted by 10% for illiquidity so as to arrive at the fair value. In case of unlisted equity shares the discount factor will be 15% instead of 10%.

In case, the Earnings per share (EPS) is -ve, EPS value for the year shall be taken as zero for arriving at capitalized earning. In case latest balance sheet is not available within 6 months from the close of the year, the shares of such companies shall be valued to zero. If the net worth of the company is -ve the share would be marked down to zero.

II. Debentures , bonds, term loans and transferable notes - Debt Securities:

a. Traded Securities:

Investment in debentures and bonds are valued at the closing market rate as on the date of valuation and, in its absence, at the latest quote available during a period of fifteen days prior to the valuation date provided there is an individual trade in that security in marketable lot (presently Rs.5 Crore) on the Principal Stock Exchange or any other Stock Exchange.

b. Non-traded / Thinly traded securities:

Investment in non traded / thinly traded securities is valued as under:

i) Rated Debt Securities:

Debt securities with residual maturity of greater than 60 days:

Investment in securities with residual maturity period of greater than 60 days are valued at the average of prices provided by CRISIL and ICRA.

Debt securities with residual maturity of up to 60 days:

Investment in debt securities with residual maturity of up to 60 days are valued as on the valuation date on the basis of amortisation.

Debt security with put/call options:

Securities with call options are valued at the worst (lowest) of the call and securities with put options are valued at best (highest) of the put. Securities with both put and call options on the day are deemed to mature on the put/call day and are valued accordingly.

Fully / Partly / Optionally Fully Convertible Debentures:

i. Convertible portion of debentures, where the terms of conversion are available, is valued as equity at the closing market price or fair value applicable for, traded and thinly / non traded equity respectively less a discount of 10% towards liquidity.

ii. Non Convertible portion of Convertible debentures and the entire amount of convertible debentures where the terms of conversion are not available, are valued as per the norms applicable for non-convertible debentures as per para E(II)

ii) Unrated/ non investment grade Debt Securities:

Investments in unrated / non investment grade debt securities are valued at a discount of 25 percent to face value while deep discount bonds are valued at a discount of 25 percent to carrying cost

III. Unquoted warrants:

Unquoted warrants are valued at the market rate of the underlying equity shares discounted for dividend element, if any, and reduced by the exercise price payable. In cases where the exercise price payable is higher than the value so derived, the value of warrants is taken as nil and where the exercise price is not available or the underlying equity is non traded/unlisted, such warrants are valued at cost.

IV. Rights entitlements:

Rights entitlements for the shares are valued at the market price of the share, reduced by the exercise price payable, further discounted for dividend element, whenever applicable.

V. Money Market Instruments:

Investments in Money Market Instruments are valued at cost plus accrued interest up to the valuation date.

VI. Unquoted / thinly traded Preference shares:

- i. In the absence of rating for Preference share, the ratings available for the debt instruments of a company is used for valuation.
- ii. 'Unrated' and 'Below investment grade', preference shares are valued at a discount of 25% to the face value.
- iii. The cumulative convertible preference shares are valued as per the norms applicable for valuation of fully convertible debentures. If the details of conversion are not available, they are considered as ordinary preference shares and are valued accordingly.
- iv. In case, dividend on preference is not received within 90 days, a discount of 15% is applied in the valuation. If the arrears continue for more than 1 year, the discount applied is 20%.
- v. If the redemption value is not received within 90 days, 100% provision of the redemption receivable is made. If the redemption is in parts and proceeds are not received within 90 days, in addition to the provision for redemption receivable, the discount as given above is applied on the balance.

- vi. If there exists provision against a preference share and any other asset issued by the company is NPA such preference shares are valued at zero.

VII. Mutual Fund Units:

Mutual Fund Units listed and traded are valued at the closing traded price as on the valuation date. Unlisted MF Units and listed but not traded MF Units are valued at the Net Asset Value (NAV) as on the valuation date.

VIII. Corporate Action:

Corporate actions such as merger, demerger are referred to the Valuation Committee to discover the prices of such securities.

F. Depreciation and Provision:

I. Depreciation in the value of investments:

The aggregate value of investments as computed in accordance with norms above is compared to the aggregate cost of such investments and the resultant depreciation, if any is charged to revenue account. In case such aggregate value exceeds the aggregate cost or the aggregate value as at the end of the previous year, the appreciation is credited to revenue account to the extent depreciation was previously adjusted.

II. Provisions for non performing asset: (NPA)

- i. Provision is made in respect of outstanding interest income of the period prior to the date on which asset is classified as non-performing (NPA). An "asset" is classified as non-performing, if the interest and/or principal amount have not been received or remained outstanding for one quarter, i.e. 90 days or more from the day such income/ installment has fallen due. The interest and investment provision is made from the date the asset is classified as NPA.
- ii. Provision for NPA is charged to Revenue Account
- iii. Provision made as above is written back on receipt of dues, in phased manner.
- iv. Provision is made in respect of dividend, where it remains outstanding for more than 120 days from the ex-dividend date.

G. Inter scheme transactions (ISTs):

Traded equity shares: ISTs of traded securities are effected at the intra-day (spot price) as on the IST date and in its absence, at the latest closing market price available during the last 30 days.

H. Custodian:

Stock Holding Corporation of India (SHCIL) provides custodial services and their fees are accounted for on accrual basis.

I. Fixed Assets :

- i. Fixed Assets are stated at historical cost less accumulated depreciation, except in respect of land, buildings, premises and building improvements which are stated at revalued cost less accumulated depreciation. In the event of revaluation, the resultant surplus on revaluation is shown as revaluation reserve. Depreciation on the appreciated amount on account of revaluation is charged to Revaluation Reserve.
- ii. Depreciation is provided on the written down value method at the under mentioned rates except on those assets held for less than six months in the accounting year, where depreciation is provided at half the said rates:-

Building and ownership premises	5%
Furniture and Fixtures	10%
Office equipments, Building Improvements, Software, Computers & Motor Vehicles	33.33%

Leasehold land and premises are amortised equally over the period of lease.

- iii. Building improvements in leased premises are depreciated at 33.33% in case the lease period exceeds eight years. However, in case the lease period does not exceed eight years, the same is amortised over the period of lease and in case the lease is not renewed within the period of eight years, the balance unamortised amount is charged in the last year of lease.
- iv. Fixed assets, which are installed and put to use, pending final settlement of liabilities are stated on an estimated basis. On final settlement depreciation is adjusted, from the date the asset is put to use.
- v. On sale of Fixed Assets, the profit / loss arrived at after reducing the written down value of cost and appreciation of fixed asset on revaluation has been accounted in the Revenue account. The balance outstanding in revaluation reserve for assets sold has been transferred to General Reserve.

J. Reserve funds:

In accordance with the provisions of Section 25 B (1) of the erstwhile Unit Trust of India Act, 1963 the two Funds namely Asset Reconstruction Fund and Staff Welfare Fund, established through contribution from the Development Reserve Fund, though belonging to the SUUTI, are accounted under the Unit Scheme 1964 Bonds as a matter of administrative convenience.

**ADMINISTRATOR OF THE SPECIFIED UNDERTAKING OF THE UNIT TRUST OF INDIA
BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2017**

Rupees in Lakhs

	SUUTI	
	31.03.2017	31.03.2016
CAPITAL.....'A'	-	-
RESERVES AND SURPLUS.....'B'	1,97,693.20	3,09,598.90
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS.....'C'	3,06,000.94	3,24,860.45
SIZE OF OTHER FUNDS	1,87,365.65	1,73,737.81
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS OF OTHER FUNDS	62,373.98	73,630.16
OTHER FUNDS.....'D'	2,49,739.63	2,47,367.97
TOTAL LIABILITIES	7,53,433.77	8,81,827.32
ASSETS		
INVESTMENTS.....'E'	4,58,960.49	5,27,380.51
DEPOSITS'F'	30,000.00	87,495.00
CURRENT ASSETS.....'G'	11,700.75	15,381.26
FIXED ASSETS.....'H'	3,032.90	4,202.58
ASSETS OF OTHER FUNDS.....'I'	2,49,739.63	2,47,367.97
TOTAL ASSETS	#REF!	8,81,827.32

NOTES TO ACCOUNTS.....'M'

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

As per our attached report of even date
For and on behalf of
G. D. APTE & CO.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 100515W

CHETAN SAPRE
PRITHVIRAJ

Partner
ICAI Membership No. 116952

IMTAIYAZUR RAHMAN

Chief Finance Officer

K.N.

Advisor

B. BABU RAO

Chief Executive Officer

Mumbai

Dated : 30th June, 2017

ADMINISTRATOR OF THE SPECIFIED UNDERTAKING OF THE UNIT TRUST OF INDIA
REVENUE ACCOUNTS FOR THE PERIOD 1ST APRIL, 2016 TO 31ST MARCH, 2017

Rupees in Lakhs

	SUUTI	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
INCOME		
DIVIDEND	1,05,857.75	82,291.58
INTEREST	10,926.90	11,868.85
PROFIT ON SALE/REDEMPTION OF INVESTMENT OTHER THAN IST	8,09,613.92	23,274.32
OTHER INCOME	606.19	539.11
PRIOR PERIOD INCOME	154.87	(134.75)
PROVISION FOR DOUBTFUL INCOME PR YR WRITTEN BACK	-	9.87
PROVISION FOR DOUBTFUL INVESTMENT& DEPOSITS WRITTEN BACK	105.87	370.07
PROVISION FOR RECEIVABLES WRITTEN BACK	-	3.27
SUB TOTAL (A)	9,27,265.50	1,18,222.32
LESS:PROVISION FOR DOUBTFUL INCOME	49.92	29.30
LESS:PROVISION FOR DOUBTFUL INVESTMENT& DEPOSITS		-
SUB TOTAL (B)	49.92	29.30
TOTAL (A-B)	9,27,215.58	1,18,193.02
EXPENDITURE		
OFFICE EXPENSES	974.19	829.72
PUBLICITY EXPENSES	22.34	-
CUSTODIAL,REGISTRAR & BANK CHGS	1,738.21	1,676.06
AUDITORS' FEES	15.49	27.58
AMC FEES	1,183.26	1,107.90
DEPRECIATION ON FIXED ASSETS	61.29	64.71
SUB TOTAL (A)	3,994.78	3,705.97
ADD: LOSS ON SALE/REDEMPTION OF INVESTMENT OTHER THAN IST	8.20	175.61
SUB TOTAL (B)	8.20	175.61
TOTAL (A)+(B)	4,002.98	3,881.58
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	9,23,212.60	1,14,311.44
TOTAL	9,27,215.58	1,18,193.02

**ADMINISTRATOR OF THE SPECIFIED UNDERTAKING OF THE UNIT TRUST OF INDIA
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE PERIOD 1ST APRIL, 2016 TO 31ST MARCH, 2017**

Rupees in Lakhs

	SUUTI	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT		
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	9,23,212.60	1,14,311.44
LESS : PREMIUM ON MATURITY - REDEMPTION	(0.66)	(0.75)
TOTAL	9,23,211.94	1,14,310.69
BALANCE TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE	9,23,211.94	1,14,310.69
TOTAL	9,23,211.94	1,14,310.69

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

As per our attached report of even date

For and on behalf of

G. D. APTE & CO.

Chartered Accountants

Firm Registration No. 100515W

CHETAN SAPRE
PRITHVIRAJ

Partner

ICAI Membership No. 116952

IMTAIYAZUR RAHMAN

Chief Finance Officer

K.N.

Advisor

B. BABU RAO

Chief Executive Officer

Mumbai

Dated : 30th June, 2017

**ADMINISTRATOR OF THE SPECIFIED UNDERTAKING OF THE UNIT TRUST OF INDIA
SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31ST
MARCH, 2017**

Rupees in Lakhs

	SUUTI	
	31.03.2017	31.03.2016
SCHEDULE 'A'		
CAPITAL		
BOND CAPITAL	-	-
TOTAL	-	-
SCHEDULE 'B'		
RESERVES AND SURPLUS		
UNIT PREMIUM RESERVE		
BALANCE AS PER THE LAST BALANCE SHEET(UPR)	(2,79,463.84)	(2,79,463.84)
PREMIUM COLLECTED/(PAID) DURING THE YEAR(NET)	-	-
TOTAL	(2,79,463.84)	(2,79,463.84)
FIXED ASSETS REVALUATION RESERVE		
BALANCE AS PER LAST B.SHEET(REVALUATION RESERVE)	2,865.67	2,921.01
LESS: TRANSFERRED TO DEPRECIATION ON FIXED ASSETS	989.83	55.34
LESS: TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE	15.94	-
TOTAL	1,859.90	2,865.67

**ADMINISTRATOR OF THE SPECIFIED UNDERTAKING OF THE UNIT TRUST OF INDIA
SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31ST
MARCH, 2017 (CONTD.)**

Rupees in Lakhs

	SUUTI	
	31.03.2017	31.03.2016
SCHEDULE 'B' (Contd.)		
GENERAL RESERVE		
<u>GENERAL RESERVE ON UNIT CAPITAL</u>		
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET.	5,86,197.07	7,11,886.38
TRANSFERRED FROM REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT	9,23,211.94	1,14,310.69
TRANSFERRED FROM FIXED ASSET REVALUATION RESERVE	15.94	-
REMITTANCE TO GOI	10,34,127.81	2,40,000.00
SUB TOTAL (a)	4,75,297.14	5,86,197.07
GRAND TOTAL	1,97,693.20	3,09,598.90
SCHEDULE 'C'		
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS		
CURRENT LIABILITIES		
SUNDRY CREDITORS	1,67,633.63	1,38,398.05
PAYABLE TO GOI	-	43,743.10
APPLICATION MONEY PENDING	231.87	231.87
UNCLAIMED INCOME/INTEREST DISTRIBUTION	1,28,124.99	1,32,421.04
TOTAL (A)	2,95,990.49	3,14,794.06
PROVISIONS		
PROVISION FOR DOUBTFUL INCOME	650.88	600.95
PROVISION FOR DOUBTFUL INVESTMENTS & DEPOSITS	8,055.48	8,161.35
PROVISION FOR RECEIVABLES	1,304.09	1,304.09
TOTAL (B)	10,010.45	10,066.39
TOTAL (A)+(B)	3,06,000.94	3,24,860.45

**ADMINISTRATOR OF THE SPECIFIED UNDERTAKING OF THE UNIT TRUST OF INDIA
SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31ST
MARCH, 2017 (CONTD.)**

Rupees in Lakhs

	SUUTI	
	31.03.2017	31.03.2016
SCHEDULE 'D'		
OTHER FUNDS		
(A) STAFF WELFARE FUND (SWF)		
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	38,264.18	34,592.41
INCOME/INTEREST RECEIVED DURING THE YEAR	3,617.29	3,720.73
UTILISATION OF FUND	33.07	48.96
SIZE OF THE FUND - SUB TOTAL (a)	41,848.40	38,264.18
CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS		
SUNDRY CREDITORS	0.11	0.22
SUB TOTAL (b)	0.11	0.22
TOTAL 'A' = (a+b)	41,848.51	38,264.40
(B) ASSET RECONSTRUCTION FUND (ARF)		
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	1,35,473.63	1,26,895.99
INCOME/INTEREST RECEIVED DURING THE YEAR	10,191.23	8,786.77
UTILISATION OF FUND	147.61	209.13
SIZE OF THE FUND - SUB TOTAL (a)	1,45,517.25	1,35,473.63
CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS		

SUNDRY CREDITORS	1,291.61	766.26
PROVISION FOR DOUBTFUL INCOME	4,416.05	5,424.34
PROVISION FOR DOUBTFUL INVESTMENTS & DEPOSITS	56,666.21	67,439.34
SUB TOTAL (b)	62,373.87	73,629.94
TOTAL 'B' = (a+b)	2,07,891.12	2,09,103.57
SIZE OF OTHER FUNDS - TOTAL I	1,87,365.65	1,73,737.81
CURRENT LIAB. & PROVN. OF OTHER FUNDS-TOTAL II	62,373.98	73,630.16
OTHER FUNDS TOTAL (A+B)	2,49,739.63	2,47,367.97

**ADMINISTRATOR OF THE SPECIFIED UNDERTAKING OF THE UNIT TRUST OF INDIA
SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31ST
MARCH, 2017 (CONTD.)**

Rupees in Lakhs

	SUUTI	
	31.03.2017	31.03.2016
SCHEDULE 'E' INVESTMENTS		
DEBENTURES AND BONDS	0.01	0.01
PREFERENCE SHARES	1,089.23	1,089.23
EQUITY SHARES	4,27,809.34	4,96,229.36
MUTUAL FUND UNITS	30,061.91	30,061.91
TOTAL	4,58,960.49	5,27,380.51
QUOTED (AT COST)	3,77,997.65	4,46,774.55
UNQUOTED (AT COST)	80,962.84	80,605.96
'A'	4,58,960.49	5,27,380.51
QUOTED (MARKET VALUE)	54,27,786.55	51,07,944.27
UNQUOTED (AT VALUATION)	99,255.17	88,997.90
'B'	55,27,041.72	51,96,942.17
APPRECIATION/(DEPRECIATION) IN VALUE OF INVESTMENT		
TOTAL ('B' - 'A')	50,68,081.23	46,69,561.66
SCHEDULE 'F' DEPOSITS		
DEPOSITS WITH BANKS	30,000.00	87,495.00
OTHER DEPOSITS	-	-
TOTAL	30,000.00	87,495.00
SCHEDULE 'G' CURRENT ASSETS		
BALANCE WITH BANKS IN CURRENT ACCOUNTS	1,180.72	1,109.39
SUNDRY DEBTORS	8,286.60	8,401.89
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME	2,209.18	5,845.11
ADVANCES, DEPOSITS ETC	24.25	24.87
TOTAL	11,700.75	15,381.26

ADMINISTRATOR OF THE SPECIFIED UNDERTAKING OF THE UNIT TRUST OF INDIA

SCHEDULE ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2017 (CONTD.....)

U S 64 BONDS

SCHEDULE ' H '

FIXED ASSETS(RUPEES
IN
LAKHS)

	GROSS BLOCK AT COST				DEPRECIATION						NET BLOCK	
	AS ON 31ST MARCH, 2016	ADDITIONS/ ADJUSTMENTS	DEDUCTIONS/ ADJUSTMENTS	TOTAL AS ON 31.03.2017	AS ON 31ST MARCH, 2016	DEDUCTIONS/ ADJUSTMENTS	DEP. ON COST FOR 1.4.16 to 31.03.2017	DEPRE ON REVALUED COST TRF FROM REVAL RESERVE (01.04.16 TO 31.03.17)	TOTAL DEPRE 1.4.16 TO 31.03.17	TOTAL AS ON 31.03.2017	AS ON 31ST MARCH, 2017	AS ON 31ST MARCH, 2016
LAND (FREEHOLD)	832.88	0.00	808.84	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.04	832.88
BUILDINGS	254.90	0.00	48.48	206.42	140.36	29.28	0.77	4.83	5.60	116.68	89.74	114.54
OWNERSHIP PREMISES	8350.36	0.00	157.62	8192.74	5097.54	(17.10)	59.68	100.32	160.00	5274.64	2918.10	3252.82
OFFICE EQUIPMENTS	1.49	0.00	0.14	1.35	1.00	0.00	0.12	0.00	0.12	1.12	0.23	0.49
COMPUTERS	960.08	0.50	959.02	1.56	958.23	958.18	0.71	0.00	0.71	0.77	0.79	1.85
TOTAL	10399.71	0.50	1974.10	8426.11	6197.13	970.36	61.29	105.15	166.43	5393.21	3032.90	4202.58

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2017(CONTD.)

Rupees in Lakhs

	SUUTI	
	31.03.2017	31.03.2016
SCHEDULE 'I'		
ASSETS OF OTHER FUNDS		
(A) ASSETS OF STAFF WELFARE FUND (SWF)		
EQUITY SHARES	-	-
MUTUAL FUND UNITS	1,487.81	2,460.31
OTHER DEPOSITS/DEPOSITS WITH BANKS	322.93	3,698.02
INVESTMENT AT COST	1,810.74	6,158.33
SUB TOTAL (a)		
CURRENT ASSETS		
SUNDRY DEBTORS	40,037.77	32,106.07
SUB TOTAL (b)	40,037.77	32,106.07
TOTAL A = (a+b)	41,848.51	38,264.40
(B) ASSETS OF ASSET RECONSTRUCTION FUND (ARF)		
DEBENTURES AND BONDS	23.45	46.91
EQUITY SHARES	5.93	5.93
MUTUAL FUND UNITS	22,214.74	21,828.15
TERM LOANS	-	-
OTHER DEPOSITS/DEPOSITS WITH BANKS	996.43	11,809.64
INVESTMENT AT COST	23,240.55	33,690.63
SUB TOTAL (a)		
CURRENT ASSETS		
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME	4,465.82	5,475.95
SUNDRY DEBTORS	1,80,184.75	1,69,936.99
SUB TOTAL (b)	1,84,650.57	1,75,412.94
TOTAL B = (a+b)	2,07,891.12	2,09,103.57
ASSETS OF OTHER FUNDS		
TOTAL (A+B)	2,49,739.63	2,47,367.97

SPECIFIED UNDERTAKING OF UNIT TRUST OF INDIA

NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2017

Schedule "M"

1. The Unit Trust of India Act, 1963 has been repealed by Government of India viz. "The Unit Trust of India (Transfer of Undertaking and Repeal) Act, 2002". In exercise of the powers conferred under the Repeal Act, the Central Government vide its notification dated 15th January 2003 had notified 1st February 2003 as the "Appointed day" for the purpose of transfer and vesting the undertaking of the erstwhile UTI into two entities viz Specified Undertaking of Unit Trust of India (SUUTI) and UTI Mutual Fund. These financial statements are drawn up for SUUTI, pursuant to the said Repeal Act.
2. The Government of India announced limited repurchase facility at the specified assured prices for US 64 and financial package for assured return schemes. The difference between the net asset value (NAV) and the applicable repurchase / assured price had been compensated by the Government. This deficit have been accounted for as 'Inflow from GOI Special Packages' under the Unit Premium Reserve and the amount received in advance in respect of short fall is accounted under the head 'Sundry Creditors' in the case of US 64. For other schemes the deficit shown under 'General Reserve' have been made up by the Development Reserve Fund (DRF) which has been accounted for all Govt. grant received as 'Grant Received from GOI'. During the year 2015-16 the books of DRF have been merged into US 64 Bonds.
3. During the year 1,48,23,702 number of equity shares of Larsen & Toubro Ltd and 24,25,22,289 number of equity shares of ITC Ltd were sold as per the details given below. An amount of Rs. 8094.78 crore has been booked as profit on sale of these shares. The acquisition cost of these equity shares have been taken as weightage average cost.

(Rs in crores)

Larsen & Toubro Ltd

No. of shares	Selling price	Sale value	Average cost	Cost price	Profit
4941234	1414.042	698.71	98.09	48.47	650.24
3683248	1414.069	520.84	98.09	36.13	484.71
1257986	1414.075	177.89	98.09	12.34	165.55
4941234	1414.445	698.91	98.09	48.47	650.44
14823702	Total	2096.35		145.41	1950.94

ITC Ltd

No. of shares	Selling price	Sale value	Average cost	Cost price	Profit
161681526	275.536	4454.90	22.20	359.01	4095.89
80840763	275.537	2227.46	22.20	179.51	2047.95
242522289	Total	6682.36		538.52	6143.84

4. The application money received under various schemes amounting to Rs. 2.31 crore (previous year Rs.2.31 crore) is outstanding in the books of SUUTI for which no details are available.
5. a. The unlisted /non traded preference shares costing Rs.10.88 crore (previous year 10.88 crore) have been valued at NIL as in the opinion of the 'valuation committee' the said preference shares have very negligible residual value.
- b. The reconciliation of our Books of Accounts with the custodian (SHCIL) has revealed the following differences:-
- (i) Rs. 2.01 crore (cost) in equity shares for which sale of equity shares was effected in books but the shares could not be released as buyers demat accounts are blocked.
- (ii) Rs. 0.05 crore(cost) in preference shares where the companies are not responding /are under liquidation.
- (iii) Difference of Rs. 179.77 crore of face value in debentures and bonds. Out of this for Rs. 124.17 crore legal action is taken for recovery of dues and for Rs.7.87 crore the confirmation/letter evidencing servicing of dues from company is available. Further for Rs. 25.59 crore, the companies have not issued security subsequent to restructuring. Other differences of Rs. 22.14 crore are on account of redemption proceeds not received, redemption receipts accounted subsequently in books or the companies are sick/liquidated etc.
6. Investments include,:
- i) Unsecured advances and loans extended from time to time as provided under sub section (3) of section 19 of the erstwhile UTI Act 1963;
- ii) Equities and debts where the certificates are yet to be issued by the companies;
- iii) Debt exposure in respect of which security creation is in process.
7. Following are the companies where SUUTI has substantial holding.

Name of the Company	% holding of SUUTI
UTI Investment Advisory Services Ltd.	91.44%

Axis Bank Ltd.	11.48%
UTI Infrastructure Technology and Services Ltd.	100%

8. The work relating to management and maintenance of property belonging to SUUTI and related matters has been outsourced to UTI Infrastructure Technology and Services Limited (Company). During the year, the company has entered into formal agreement with SUUTI relating to the scope of work and related services.
- a. The formalities relating to documentation for various properties under the ownership/ possession of SUUTI is a continuous process and is being carried out.
- b. SUUTI has given the properties on lease to various companies. Formal agreement has been entered with EXIM, NPCI & IRDA. However, execution of agreement with LIC is in process.
9. Contingent liability not provided for cases pending with Consumer Forum amounts to Rs.2.08 crore.
10. The previous year figures are regrouped / reclassified wherever necessary.

IMTAIYAZUR RAHMAN

Chief Finance Officer

K N PRITHVIRAJ

Advisor

B. BABU RAO

Chief Executive Officer

For and on behalf of

G.D.APTE & CO.

CHARTERED ACCOUNTANTS

Firm Registration No. 100515W

CHETAN R. SAPRE

Partner

ICAI Membership No. 116952

MUMBAI

DATED: 30th June, 2017

B. BABU RAO, Chief Executive Officer

[ADVT III/4/Exty./214/17]